




### कार्यालय आदेश (126 /2022)

दिनांक 13.06.2022 को अपरान्ह 12:30 बजे राजभाषा हिन्दी विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा विश्वविद्यालय मुख्य कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें संयुक्त निदेशक, राजभाषा, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में हिन्दी के कार्यालयीय कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। अतः एतद्वारा मुख्य कार्यालय/विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभागों में हिन्दी में किये गये कार्य की पत्रावली, डिस्पैच रजिस्टर, डायरी, पत्राचार, नाम पट्ट मुहर इत्यादि का रख-रखाव सुचारु रूप से रखें, ताकि समिति के द्वारा मांगे जाने पर उन्हें दिखाया जा सके। साथ ही दिनांक 13.06.2022 को सभी अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. प्रति कुलपति महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियंता/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. समस्त परिसर निदेशक (टिहरी/पौड़ी/चौरास)/निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0।
5. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
6. समन्वयक, हिन्दी राजभाषा।
7. संयुक्त कुलसचिव/समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
8. प्रभारी सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी।
10. निजी सचिव, कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. कार्यालय प्रति।

  
कुलसचिव